

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-624)अलेसे-I/ 866

दिनांक:- 01/08/23

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द्र आर्य, (सेवानिवृति दिनांक 31.07.2023) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त (पेंशन) विभाग में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक 01.08.2023 से 01 वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पे-माईनस पेंशन (Pay Minus Pension) के आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/पेंशन/2023 दिनांक 25.07.2023 एवं कार्मिक विभाग की राजकाज आईडी 4243724 दिनांक 10.07.2023 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-624) अलेसे-I/ 867-74

दिनांक:- 01/08/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, कोषालय सचिवालय, जयपुर।
4. श्री रमेश चन्द्र आर्य, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव निदेशक महोदय।
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)